न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
263 / 2023	25.07.2023	30.01.2024

उनवान

1. श्री कन्हैया लाल पिता नाथु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री गेरू पिता नाथु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. सोहन पिता नाथु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. बालु पिता मांगू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्रीमति देवी पत्नि स्व० मांगू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
6. माया पिता मांगू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पिता जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री किशन पिता हीरा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्रीमति अनोपी पत्नि स्व० जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री गणेश पिता रेवत जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्री गिरधारी पिता भागीरथ जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. मदन पिता जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
7. श्रीमति लेहरी पत्नि स्व० रेवत जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

8\. श्रीमति [illegible] पत्नि स्व० [illegible] जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

9\. [illegible] उर्फ किशन पिता [illegible] जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

10\. नारायण पिता मांगू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

11\. श्रीमति गुलाबी पत्नि स्व० नारू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

12\. देवी लाल पिता नारू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

13\. भैरू लाल पिता लादु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

14\. चान्दी पत्नि छोगा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

15\. शंकर पिता तलोक जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रुगनाथपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

16\. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रुगनाथपुरा प0ह0 रामपुरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 69 की अभिलिखित आराजियात 65/2, 156/2, 177, 180/2, 205/3, 218/3, 232, 245, 246, 247, 248/1, 258/3, 259/2, 262/2 कुल किता 14 कुल रकबा 1.8083 हैक्टेयर व खाता संख्या 70 में आराजी संख्या 221/4, 222/3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2277 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के समन बाद तामिल प्राप्त होने [illegible] नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के [illegible] कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर [illegible] प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात [illegible] पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया [illegible] पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का [अव]लोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात [जेर]बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन [(प]त्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में [अं]कित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र [अ]न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि [मौ]जा रूगनाथपुरा प0ह0, रामपुरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला [भी]लवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 69 की अभिलिखित आराजियात [1]55/2, 156/2, 177, 180/2, 205/3, 218/3, 232, 245, 246, 247, 248/1, 258/3, [2]59/2, 262/2 कुल किता 14 कुल रकबा 1.8083 हैक्टेयर व खाता संख्या 70 में आराजी [सं]ख्या 221/4, 222/3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2277 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को [सू]चित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व [कि]सी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे [अ]नुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार [भी]लवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता [है।] कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका [आ]गामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर [वसूल]त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार मे [भि]जवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा